उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)
संख्याः -68/XXIV(6)/2011
देहरादून दिनॉक : 15 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) के तहत निम्नानुसार नीति निर्धारित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– **निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु नीति निर्धारण निम्नवत् हैः–**

1. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में **₹ दस लाख** की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल, के पक्ष में देय होगा, बनवाकर प्रस्ताव/आवेदन पत्र के साथ जमा कराया जायेगा। जिसे सम्बन्धित द्वारा यथासमय राजकोष में जमा कराया जायेगा। प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
2. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोले जाने का **उद्देश्य/फिजिबिलिटी (feasibility)** रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
3. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु **आय–व्ययक की व्यवस्था एवं उसका स्रोत** का सम्यक् ब्यौरा प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जायेगा।
4. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने हेतु इच्छुक समिति/ट्रस्ट/संस्था की पृष्ठभूमि एवं सम्बन्धित शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने का **कम से कम 10 वर्ष का अनुभव** हो।
5. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने हेतु इच्छुक समिति/ट्रस्ट/संस्था की **वित्तीय स्थिति सुदृढ़** होनी चाहिए ताकि राज्य में एक उत्तम विश्वविद्यालय स्थापति हो सके।
6. निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर **संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन** सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रदेश के स्थायी निवासियों को विश्वविद्यालय में संचालित **सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण** का प्रावधान रखा जायेगा। यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो राज्य सरकार की अनुमति से उक्त रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।
8. निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठयक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों, जो प्रदेश के **स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट** प्रदान की जायेगी।
9. प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो **समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों** हेतु योग्यता रखते हो, की इन श्रेणी के समस्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

10. प्रदेश के **स्थायी निवासियों को शैक्षणिक संवर्ग की नियुक्तियों में प्राथमिकता** प्रदान की जायेगी।

11. विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों, फैकल्टी, आधारभूत सुविधाओं आदि का नैक एक्रीडियेशन कमेटी (NAAC ACCREDITATION COMMITTEE) द्वारा प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जायेगा। नैक की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. प्रदेश को Education Hub बनाये जाने हेतु विविध माध्यमों से देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं को आमंत्रित किया जायेगा।

13. राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित संस्था को विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर विश्वविद्यालय को अनुमन्य पाठयक्रम में पठन–पाठन संचालन प्रारम्भ करना होगा। राज्य सरकार की सहमति से उक्त दो वर्ष की अवधि में एक वर्ष की और बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

14. विश्वविद्यालय का समय–समय पर यथा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मॉनिटिरिंग कमेटी (Monitoring committee) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। समिति की संस्तुति के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

15. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक प्रस्तावकों को इस हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमति आदि हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) लागू की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4– उक्त नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्याः 68 **/XXIV(6)/2011 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

9. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वांरेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 ।
10. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु ।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव।